नगर निगम शिमला

सार्वजनिक सूचना

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 226(2) के अन्तर्गत सूचना ।

जबकि मुहाल विकासनगर, तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला हि० प्र० में खसरा नम्बर 31/2/8 रक्बा 245.89 वर्ग मीटर कुल लम्बाई 0/00 से 0/70 मीटर व चौड़ाई 3.00 मीटर को मेहता निवास से अंजी लोअर विकास नगर तक सार्वजनिक मार्ग को रोगी वाहन मार्ग घोषित करने हेतु माननीय पार्षद श्रीमति रजना भारद्वाज, वार्ड न० 29 विकासनगर से प्रस्तावना प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया ।

और जबकि प्रस्तावित उक्त खसरा नम्बर में मेहता निवास से अंजी लोअर विकास नगर तक कुल लम्बाई 0/00 से 0/70 मीटर व चौडाई 3.00 मीटर को सार्वजनिक मार्ग घोषित किया जाना अपेक्षित हैं ।

अतः हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 226(2) के अन्तर्गत सूचना जारी की जाती है कि किसी भूमि/भवन स्वामी को प्रस्तावित रोगी वाहन मार्ग के अन्तर्गत उक्त खसरा नम्बर 31/2/8 रक्बा 245.89 वर्ग मीटर कुल लम्बाई 0/00 से 0/70 मीटर व चौड़ाई 3.00 मीटर है, में आने वाली भूमि बारे यदि कोई आपत्ति हो तो वह इस सूचना के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर इस प्रस्तावना पर नगर निगम शिमला में अपनी आपत्ति/सुझाव दायर कर सकता/सकते हैं ।

नोटः- प्रस्तावित रोगी वाहन मार्ग घोषित करने के लिए राजस्व योजना एवं अभिलेखों का निरीक्षण किसी भी कार्य-दिवस को किया जा सकता है । यह रिकार्ड अधीक्षक सामान्य, नगर निगम शिमला के पास उपलब्ध रहेगा ।

आयुक्त,
नगर निगम शिमला ।

पृष्ठांकन संख्याः नानि।शि /आर्.आ /1075/कजी0/2026-586 दिनांकः 5/3/26

प्रतिलिपिः-

1. उपायुक्त, शिमला जिला शिमला, हि0प्र0 को सूचनार्थ ।
2. उपमण्डलाधिकारी (शहरी), व (ग्रामीण) शिमला को सूचनार्थ प्रेषित है ।
3. आईटी, ईचार्ज, नगर निगम शिमला को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सार्वजनिक सूचना को नगर निगम शिमला की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ।

आयुक्त,
नगर निगम शिमला ।